

कार्यालय: मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण

निविदा शुद्धि पत्र

दिनांक 21 जून, 2015 को दैनिक हिन्दुस्तान एवं राजपथ समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा के क्रम संख्या-7 पर अंकित कार्य “रुकमणी विहार आवासीय योजना स्थित पार्को में वृक्षारोपण का कार्य (तीन वर्ष के अनुरक्षण सहित) की शर्त में “प्राधिकरण में पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है परंतु उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होना अनिवार्य है’ ’ में संशोधन करते हुये प्रश्नगत कार्य के लिये सरकारी/अर्ध सरकारी विभागों में पंजीकृत एवं समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव रखने वाली एजेन्सी/फर्म से निविदा आमंत्रित की जाती है। शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

सचिव,

म0वृ0वि0प्रा0, मथुरा।